राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 170/2011/राजसमन्द.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ, वृत–राजसमन्द. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गजसिंह चौहान, कल्लाखेड़ी, राजसमन्द. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 04/11/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या 30/ वैट/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ठेकेदारी का कार्य किया जाता है। व्यवहारी द्वारा उक्त कार्यों के पेटे रूपये 1,48,610/– की अपंजीकृत खरीद यथा पत्थर, गिट्टी व बजरी की खरीद एवं रूपये 4,53,200/– का मशीनरी खर्चा दर्शाया गया था। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) ने कार्य की प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए अपंजीकृत खरीद की राशि को रूपये 1,48,610/– से बढ़ाते हुए 1,50,000/– अवधारित करते हुए इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। इसके अलावा व्यवहारी द्वारा बताया गया मशीनरी खर्चा रूपये 4,53,200/– की राशि को प्रमाण के अभाव में बताते हुए इसे स्वयं की अवधारणा से रूपये 2,10,200/– की अपंजीकृत खरीद ईंटे व आयरन स्टील की मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से एवं रूपये 2,43,000/– पर 12.5 प्रतिशत से करारोपण करते हुए अतिरिक्त कर एवं विलम्ब के आधार पर ब्याज आरोपित करने का आदेश दिनांक 05.03.2009 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2010 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर इनके द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर व्यवहारी द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों से सम्बन्धित 'जी' शिड्यूल उपलब्ध है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपंजीकृत खरीद को बढ़ाने से पूर्व प्रत्यर्थी को सुनवाई बाबत नोटिस दिया जाना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। कर निर्धारण आदेश के पृष्ठ–2 के बिन्दु संख्या–3 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मशीनरी हेतु किये गये खर्चों को बिना आधार, मनमानीपूर्वक इस राशि को पहले तो माल की खरीद बताई, उसके पश्चात अपनी इच्छा से दो भागों में बांटकर 4 प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य मानते हुए करारोपण किया गया, जो पूर्णतया आधारहीन एवं अतार्किक है।

6. किसी भी व्यवहारी का कर निर्धारण व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लेखों अनुसार ही करना अनिवार्य है, जब तक कि ऐसा कोई साक्ष्य या जांच न हो जो यह प्रमाणित करे कि व्यवहारी द्वारा अन्य कोई खरीद या बिक्री की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी कारण लेखों में दर्शायी गयी खरीद बिक्री या खर्चों को मनमाने तरीके से परिवर्तित करना एवं उस पर इच्छानुसार करदेयता एवं कर दर से गणना करना विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध एवं प्रदत्त शक्तियों का अनुचित प्रयोग है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समान तथ्यों के प्रकरण में पारित निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी (वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स) भीलवाड़ा बनाम मुकुटवाला कंस्ट्रक्शन कम्पनी, भीलवाड़ा एस.बी.सिविल रिट संख्या 25/11 आदेश दिनांक 28.01.2011** एवं **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चतुर्थ, बाड़मेर बनाम मैसर्स सुधेव बोहरा, बाड़मेर न्यायिक दृष्टान्त 40 टैक्स अपडेट 100 (रा.क.बो.)** में यह विधि स्थापित है कि बिना किसी आधार के किसी भी खरीद बिक्री को नहीं बढ़ाया जा सकता।

लगातार.....3

8. उक्त विवेचना एवं तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त कर व ब्याज को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य